संं0- 05/2026/183/35-1-2026-422/यो0मा0प्र0/2018टी0सी0-2

प्रेषक,

एस० पी० गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रबन्ध निदेशक/निदेशक, राजकीय निर्माण एजेन्सी।

विषयः प्रदेश की अवस्थापना सम्बन्धी निर्माणाधीन परियोजनाओं की मानीटरिंग एवं निर्माण में आ रही बाधाओं के त्वरित निस्तारण हेतु PMG Portal पर राज्य सरकार की परियोजनाओं हेतु State PMG Portal (S-PMG) का उपयोग किया जाना।

महोदय/महोदया,

भारत सरकार द्वारा केन्द्र से वित्त पोषित महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं के क्रियान्वयन में समयबद्धता लाने हेतु आ रही बाधाओं को सम्बन्धित मंत्रालय या राज्य सरकार से समाधान कराने के लिए Project Monitoring Group (PMG) Portal की व्यवस्था की गयी है। **प्रदेश सरकार की ओर से वित्त पोषित परियोजनाओं की मानीटरिंग एवं निर्माण में आ रही बाधाओं के त्वरित निस्तारण हेतु State PMG Portal का विकास किया गया है।**

2. नियोजन विभाग द्वारा Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) की इस पहल के अन्तर्गत प्रदेश हेतु State PMG Portal Set-up किए जाने के लिए CMIS Portal पर दर्ज रू0 10 करोड़ करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं को State PMG Portal पर Application programming interface (API) के माध्यम से लिंक किया गया है। **इसके माध्यम से परियोजनाओ के क्रियान्वयन मे आने वाली बाधाओं/issues को प्रदेश के सम्बन्धित विभागों/संस्थाओ/जनपदों अथवा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को निस्तारण हेतु प्रेषित किया जा सकेगा (Standard Operating Procedure संलग्न)।** State PMG पोर्टल(pmg.dpiit.gov.in) पर दर्ज issues को resolve किए जाने हेतु समय-समय पर सम्बन्धित विभागों/कार्यदायी संस्थाओ के स्तर एवं उच्च स्तर पर भी समीक्षा बैठक आहूत की जाएगी, ताकि pending issues का ससमय निस्तारण किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में तकनीकी परामर्श हेतु योजना मानीटरिंग प्रभाग, नियोजन विभाग को dirmcmd@nic.in पर ई-मेल प्रेषित किया जा सकता है।

3. कृपया उपर्युक्तानुसार समस्त विभाग एवं कार्यदायी संस्थायें उनसे सम्बन्धित key infrastructure projects की monitoring, clear accountability, efficient multi-stakeholder coordination, Fast-track issue resolution तथा time-bound actions for all issues/approvals हेतु State PMG पोर्टल का उपयोग कराए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

(एस०पी० गोयल)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>पत्रांक व दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
4. सचिव/समस्त विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
5. निदेशक, योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र० लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

S.O.P for State PMG Portal

नियोजन विभाग द्वारा परियोजनाओं के निर्माण मे आ रही बाधाओ का ससमय निस्तारण हेतु Chief Minister Information System (CMIS) Portal पर दर्ज रू0 10 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं को PMG Portal से Application programming interface (API) के माध्यम से लिंक करते हुये State PMG पोर्टल Set-up किया गया है।

State PMG पोर्टल पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रहे issue को दर्ज किये जाने के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जायेगा:-

1. State PMG पोर्टल पर उन्ही परियोजनाओ (जो परियोजनाये CMIS पोर्टल पर दर्ज हैं) मे संबंधित प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था के क्षेत्रीय अधिकारियों (अधिशासी अभियंता के स्तर से अनिम्न) द्वारा issues दर्ज किए जा सकेंगे।
2. State PMG पोर्टल पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रहे **भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागो एवं परियोजना के प्रशासकीय विभाग, प्रदेश के अन्य विभाग/ संस्था और जनपदो** से संबन्धित issue दर्ज किए किए जा सकते है।

   a) **भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागो से संबंधित issue :-** भारत सरकार के संबन्धित मंत्रालय/विभाग के के विवरण के साथ State PMG पोर्टल पर नियोजन विभाग का चयन करते हुए issue दर्ज किया जाएगा।

   b) **परियोजना के प्रशासकीय विभाग, प्रदेश के अन्य विभाग/ संस्था और जनपदो से संबंधित issue :-** पोर्टल पर संबन्धित विभाग/संस्था और जनपद का चयन करते हुए issue दर्ज किया जाएगा।

3. State PMG पोर्टल पर issue दर्ज होने के उपरांत परियोजना से संबंधित प्रशासकीय विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा issue को verify/reject किया जा सकेगा। Verification के उपरान्त संबंधित विभाग/संस्था/जनपद (जिसके द्वारा समस्या का निस्तारण किया जाना है) के नोडल अधिकारी को PMG पोर्टल के माध्यम से issue स्वत: प्रेषित हो जाएगा।
4. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागो से संबंधित issues प्रशासकीय विभाग के नोडल अधिकारी से verify होने होने के उपरांत नियोजन विभाग द्वारा भारत सरकार को PMG पोर्टल के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।
5. इसके पश्चात issue से संबंधित विभाग/जनपद/संस्था द्वारा issue के निस्तारण के संबंध में की गयी कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से State PMG पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।
6. Issue से संबंधित विभाग/जनपद/संस्था द्वारा issue को State PMG Portal पर Resolve दर्ज करने के पश्चात Issue Create करने वाले विभाग/संस्था से भी पोर्टल पर स्टेटस अपडेट कराने के उपरांत issue को नियोजन विभाग द्वारा पोर्टल पर resolve किया जाएगा।
7. संबन्धित विभागो एवं कार्यदायी संस्थाओ द्वारा CMIS Portal के लॉगिन आई०डी० तथा पासवर्ड (Pmg@1234) से State PMG पोर्टल पर लॉगिन किया जा सकता है तथा समस्त जनपदो के जिलाधिकारियों को पूर्व मे प्रेषित PMG पोर्टल के लॉगिन आई०डी० तथा पासवर्ड से ही State PMG पोर्टल पर उनके द्वारा लॉगिन किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. State PMG पोर्टल पर दर्ज issues को resolve किए जाने हेतु समय-समय पर उनसे संबंधित विभागों/कार्यदायी संस्थाओ/ जनपदो एवं उच्च स्तर पर समीक्षा बैठक आहूत की जाएगी, ताकि pending issues को ससमय निस्तारित किया जा सके।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।